भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4909

दिनांक 23.07.2019/1 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों में कैदियों की भीड़

†4909. श्री नवनीत रवि राणाः

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जेलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) जेल में बंद कैदियों की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उन जेलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है जहां अधिभोग-दर 100 प्रतिशत से अधिक है; और

(घ) क्या सरकार ने जेल में भीड़भाड़ को कम करने के लिए कोई योजना बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "कारागार आंकड़े भारत" में कारागार आंकड़ों को संकलित करता है। वर्ष 2016 तक प्रकाशित रिपोर्टें उपलब्ध हैं। देश में जेलों और जेलों में बंद कैदियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग): एनसीआरबी द्वारा ऐसी जेलों की संख्या पर विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है, जहां अधिभोग-दर 100% से अधिक है। तथापि, दिनांक 31.12.2016 के अनुसार, जेलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अधिभोग-दर **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। की प्रविष्टि 4 के अनुसार, 'कारागार' और 'उनमें बंद व्यक्ति' राज्य के विषय हैं। कारागारों के प्रशासन और प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विचारणाधीन व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और विचारणाधीन व्यक्तियों के मामलों की समीक्षा को गति प्रदान करने के लिए लोक अदालतों/विशेष न्यायालयों की स्थापना के उपाय करने के लिए परामर्शी पत्र जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 भी परिचालित किया है, जिसमें 'कानूनी सहायता' पर एक अध्याय है, जो कि विचारणाधीन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं यथा कानूनी बचाव, वकीलों के साथ वार्तालाप, वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने, सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन आदि की व्यवस्था करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) पूरे भारत में जेलों में चल रहे अपने विधिक सेवा क्लिनिकों के माध्यम से सभी विचाराणाधीन कैदियों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में, नालसा ने "विचारणाधीन कैदी समीक्षा समितियों हेतु मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी)" के रूप में दिशानिर्देशों को तैयार किया है। गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 18.02.2019 को मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित की गई है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जेलों की संख्या, कैदियों की संख्या तथा जेलों में अधिभोग दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेलों की कुल संख्या	कैदियों की संख्या	अधिभोग दर (% में)
1	आंध्र प्रदेश	112	7267	81.8
2	अरुणाचल प्रदेश	2	214	100.9
3	असम	31	8611	100.3
4	बिहार	58	33102	87.6
5	छत्तीसगढ़	30	18631	189.9
6	गोवा	2	448	37.5
7	गुजरात	27	12438	100.4
8	हरियाणा	19	17654	97.6
9	हिमाचल प्रदेश	14	2192	116.6
10	जम्मू और कश्मीर	14	2688	89.6
11	झारखंड	29	17173	111.0
12	कर्नाटक	102	14843	107.9
13	केरल	54	7073	114.3
14	मध्य प्रदेश	123	37649	136.0
15	महाराष्ट्र	154	31438	119.5
16	मणिपुर	5	624	54.4
17	मेघालय	5	833	132.2
18	मिजोरम	7	1161	88.6
19	नागालैंड	11	413	28.5
20	ओडिशा	91	15303	85.0
21	पंजाब	26	22598	100.3
22	राजस्थान	126	20363	102.4
23	सिक्किम	2	324	131.7
24	तमिलनाडु	138	14873	65.7
25	तेलंगाना	49	6219	88.0
26	त्रिपुरा	13	929	42.8
27	उत्तर प्रदेश	70	95336	164.1
28	उत्तराखंड	11	4200	124.3
29	पश्चिम बंगाल	59	22969	109.7
	कुल (राज्य)	**1384**	**417566**	**112.6**
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	4	183	40.8
31	चंडीगढ़	1	768	68.6
32	दादरा एवं नगर हवेली	1	120	200.0
33	दमन एवं दीव	2	59	36.9
34	दिल्ली	12	14058	179.8
35	लक्षद्वीप	4	7	10.9
36	पुदुचेरी	4	242	58.2
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**28**	**15437**	**153.0**
	कुल (अखिल भारत)	**1412**	**433003**	**113.7**

अधिभोग दर= कैदियों की संख्या x 100
कुल क्षमता

100 से कम अधिभोग दर जेलों में कैदियों के लिए स्थान उपलब्ध होने को दर्शाती है।

100 से अधिक अधिभोग दर जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों को दर्शाती है।

स्रोत: कारागार आंकड़े भारत